कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण की रोकथाम हेतु शासकीय निर्देशानुरूप घोषित लॉकडाउन के दौरान कुछ अधिकारी/कार्मिक मुख्यालय से बाहर हैं। मुख्यालय से बाहर गए अधिकारी/कार्मिकों को लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की ड्यूटी पर लगाए जाने से उन्हें मुख्यालय पर लौटने हेतु अनावश्यक लम्बी यात्राएं करनी पड़ती है, जिससे लॉकडाउन का उद्देश्य विफल होता है एवं संक्रमण का खतरा बना रहता है। अतः अधीनस्थ कार्यालयों एवं जिला प्रशासन से यह अपेक्षित है कि वह केवल मुख्यालय पर उपस्थित कार्मिकों की ही ड्यूटी लगावें। इसी अनुक्रम में अधिकारियों एवं कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति की वास्तविक अद्यतन सूचना प्राप्त किए जाने हेतु तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

1. समस्त PEEO/संस्थाप्रधान/कार्मिक, जो कि वर्तमान में अपने मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है तथा अपने परिवार के साथ अन्य जिलों में/मुख्यालय से अन्यत्र निवास कर रहे हैं, लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय पर लौटने के लिए लम्बी यात्रा नहीं करेंगे तथा लॉकडाउन समाप्ति पश्चात् ही मुख्यालय हेतु प्रस्थान करेंगे।
2. समस्त PEEO/संस्थाप्रधानों को मुख्यालय पर उपस्थिति सम्बन्धित सूचना शाला दर्पण के माध्यम से दर्ज करवाने हेतु विभागीय पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में ही आवश्यक बदलाव किए जाकर दिनांक : 13.04.2020 को प्रातः से सायं 05 बजे तक (मुख्यालय पर अधिकारी/कार्मिक के उपस्थित होने अथवा नहीं होने की सूचना) दर्ज करने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में PEEO /संस्थाप्रधान मुख्यालय के आस–पास के गांव व कस्बों/शहरों में निवास कर रहे अधिकारी/कार्मिक, जो बिना किसी लम्बी यात्रा के मुख्यालय पर सहज उपलब्ध हो सकते हैं, को मुख्यालय पर उपस्थित मानते हुए उपस्थिति सम्बन्धी सूचना शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में समस्त PEEO/संस्थाप्रधान द्वारा दर्ज मुख्यालय पर उपस्थिति सम्बन्धी सूचना दिनांक : 14.04.2020 को ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड/प्रिन्ट प्राप्त कर सम्बन्धित एसडीएम के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रेषित करेंगे।
4. संस्थाप्रधान/ PEEO प्रत्येक कार्मिक से दूरभाष पर बात करके ही मुख्यालय पर उपस्थिति की सूचना का पोर्टल पर ऑन लाइन अंकन करेंगे। किसी भी कार्मिक को उक्त कार्य हेतु विद्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित नही किया जाए। यदि PEEO/संस्थाप्रधान अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर ऑन लाइन उपस्थिति अपरिहार्य कारणवश पोर्टल पर दर्ज करने में असमर्थ हो, तो PEEO/संस्थाप्रधान दूरभाष के माध्यम से अपने अधीनस्थ स्टाफ की मुख्यालय पर उपस्थिति की समेकित सूचना सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. समस्त CDEO/CBEO अपने क्षेत्राधिकार में PEEO/संस्थाप्रधानों द्वारा शाला दर्पण पर दर्शाई गई मुख्यालय पर उपस्थिति सम्बन्धित सूचना का उपयोग केवल कार्मिकों की ड्यूटी लगाए जाने हेतु करेंगे ताकि मुख्यालय से बाहर गए अधिकारी/कार्मिक किसी अवपीड़क कार्यवाही के भय से चिंतित होकर गलत सूचना अंकित न करें।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/माध्य/शालादर्पण/60304/2020 दिनांक : 12.04.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।
10. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर